न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2020
GCMS NO. : 2020/00016

-:: प्रार्थीगण ::-

1. गजराई पत्नी शंकर पुत्री भोलाराम
2. भीकाराम पुत्र हजारी
3. प्रेम पुत्री हजारी
4. ग्यारसी पुत्री हजारी

जातियान-कुम्हार निवासी-बलाडा तहसील - जैतारण, जिला -पाली राजस्थान।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. सम्पतराम पुत्र गोकलराम
2. पुसाराम पुत्र जाला उर्फ जालु
3. पांचूडी पत्नी जाला उर्फ जालु

जातियान-कुम्हार निवासी-बलाडा तहसील - जैतारण, जिला -पाली राजस्थान।

4. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 मोहराई जरिये सर्वाधिकारी (अधिकृत प्रतिनिधि) श्री वरिन्दरसिंह सैनी पुत्र सरदार मोहनसिंह जाति सैनी निवासी होशियारपुर पंजाब हाल निम्बेडा खुर्द (नारायणसिंह की पाटिया) तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 18/02/2020

उपस्थितः 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, श्री रेवतसिंह चारण, श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास (वर्तमान भू.अ.नि. बलाडा) तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 972 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि जो सायलान एवं गैरसायलान सं . एक से तीन की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती पुश्तेनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है उक्त कृषि भूमि में सावलान 2/4 हिस्से की भूमि पर बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है व अपने पुश्तैनी/पैतृक भूमि पर पीढी दर पीढी उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 972 में [illegible] सेटलमेंट सायलान के पूर्वज छोगा वल्द धूला कुम्हार बतौर खातेदार [illegible] काबिज थे तत्पश्चात् छोगा वल्द धूला के देहान्त के बाद [illegible] उनके [illegible] चार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

क्रमशः गोकलराम, भोलाराम, हजारीराम व जाला उर्फ जालु के नाम वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई। तथा छोगा जी के चारों पुत्रों के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी सायलान एवं गैरसायलान सं. एक से तीन को बतौर विरासत में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी सायलान एवं गैरसायलान सं. एक से तीन की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती एवं कब्जे काश्त की भूमि है व संयुक्त रुप से काश्त उपयोग-उपभोग करते आ रहे है गैरसायलान सं. एक से तीन एवं सायलान के मध्य आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विधिवत् रुप से बंटवाड़ा नहीं हो रखा है सम्पूर्ण भूमि एक चक के रुप में स्थित है व राजस्व मानचित्र (नक्शा ट्रेश) में भी शामालाती इन्द्राज है। जो राजस्व मानचित्र मय राजस्व रेकर्ड से पूर्णतया साबित है। गैरसायलान सं. चार अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से वादग्रस्त भूमि को हड़प करने का प्रयास कर रहे है इसी उद्देश्य दिनांक 13/02/2020 को गैरसायलान सं. चार के अधिकृत अधिकारी ने सायलान एवं गैरसायलान सं. एक से तीन को वादग्रस्त भूमि को जबरदस्ती कम्पनी के नाम करवाने का दबाव एवं धमकियां देने लगे, व खाली स्टाम्प पेपर लाकर उस पर जबरदस्ती अंगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर करने का दबाव दिया, इस पर सायलान ने गैरसायलान सं. चार को अपनी पुश्तैनी भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने से साफ मना कर दिया, मगर गैरसायलान सं. एक से तीन को भारी प्रलोभन, लालच देकर गैरसायलान सं. चार पुश्तैनी भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा हुये बिना ही खरीद कर सायलान को बेदखल करने पर आमादा है यदि संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती पुश्तैनी भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा हुये बिना ही गैरसायलान सं. चार द्वारा खरीद किये जाने पर मौके पर सायलान एवं गैरसायलान सं. चार के मध्य कब्जे को लेकर टण्टा फसाद होगा, गैरसायलान सं. चार अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से सायलान के कब्जा काश्त की भूमि में दखलांदाजी, बाधा अवरोध पैदा करेंगे व सायलान को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, यदि गैरसायलान द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे, जिससे मौके पर टण्टा फसाद खून खच्चर होने की सम्भावना है ऐसा होने पर सायलान को गैरसायलान के विरुद्ध बार-बार फौजदारी/दिवानी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त, दस्तावेजात के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की शामलाती पुश्तैनी भूमि से पीढी पर पीढी बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के आधार पर सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है यदि गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अवैध, गैरकानूनी रूप से सायलान के हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि में बाधा, दखलांदाजी, रोकटोक करने पर अपूर्णीय क्षति सायलान को होने की सम्भावना है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास (वर्तमान भू.अ.नि. बलाडा) तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 972 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि जो सायलान एवं गैरसायलान सं. एक से तीन की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर सायलान अपने 2/4 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है व शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करता आ रहे है मगर गैरसायलान सं. एक से तीन ने वादग्रस्त आराजी का विधिवत् रूप से बंटवाड़ा करवाये बिना ही गैरसायलान सं. चार प्रलोभन, लालच देकर खरीद करने या सायलान अपने कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करें, व इसके मुतालिक कुल कार्य करे या करावे, व काश्त करे, उसमें गैरसायलान किसी प्रकार की दखलांदाजी बाधा रोक टोक नहीं करें, ना ही बैचान, हस्तान्तरण अथवा अतिचार करें और ना ही सायलान को बेदखल करने की कोशिश करे, ऐसा किये जाने से गैरसायलान एवं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट, परिवार सदस्य इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद के अन्तिम निर्णय तक रोका जावे। अन्य कोई सहायता सायलान प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलवायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने जवाब प्रा.पत्र बंद किया गया। गैरसायलन संख्या 1 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि सरहद मौजा बलाडा मे स्थित खसरा नम्बर 972 रकबा 25-18 बीघा भूमि सायलान् एवं गैरसायलान् के हिन्दू संयुक्त परिवार पैतृक पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने व पीढ़ी दर पीढी उपयोग-उपभोग करने के कथन गलत है। उक्त भूमि का सहखातेदारान् के बीच 60 वर्षो से अधिक समय से मौके पर बंटवाडा हो चुका है उक्त कथन गैरसायल संख्या 1 ने उतरदाता गैरसायल को जानकारी दी। उक्त भूमि मे गैरसायल संख्या 1 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि पक्षकारान् के खातेदारी की पैतृक पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की नहीं होकर सायल संख्या 1 का 1/4 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

का खातेदार है व मौके पर पिछले 60 वर्षो से उक्त भूमि का बंटवाडा होकर खेतो के बीच मांठ/खन्दक, तारबन्दी की हुई है। अन्य कथन गलत होने से उतरदाता गैरसायल अस्वीकार करता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में दर्ज कथन गलत व झुठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि का सायलान् एवं गैरसायलान् के बीच मौके पर अपने पिता के समय से अर्थात 60 वर्षो से अधिक समय से बंटवाडा होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। सायलान् को उतरदाता गैरसायल से इस पद मे अंकित भूमि बाबत् लालच देकर क्रय करने, उन्हे बेदखल करने, उनकी भूमि को अवैध व गैरकानूनी तरीके से हडप कर कम्पनी के नाम करवाये जाने का दबाव व धमकी देकर खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान लगवाने व सायलान् के हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा करना, उनके कब्जे काश्त की भूमि मे दखलन्दाजी करना, बेदखल करना आदि के कथन गलत व झुठे अंकित किये है। यह है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर 972 रकबा 25-18 बीघा भूमि के 1/4 हिस्से का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है व मौके पर बंटी होकर कब्जा काश्त है व उक्त भूमि का मौके पर गैरसायल संख्या 1 अपने 1/4 हिस्से की भूमि मे से अपने लिये निजी/पारिवारिक कार्य हेतू रकम की आवश्यकता होने पर उतरदाता गैरसायल से उचित प्रतिफल की राशि 07 लाख 85 हजार 05 सौ रूपये मिलने पर दिनांक 18/03/2020 को बेचान की। इसलिए उतरदाता गैरसायल संख्या 4 क्रेता का क्रय की गयी भूमि पर मौके पर कब्जा है तथा माफिक बेचान व कब्जे की जांच कर रेवेन्यु एजेन्सी ने गैरसायल संख्या 4 के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 3892 दिनांक 20/03/2020 को स्वीकृत किया व जमाबन्दी मे नाम इन्द्राज किया। उतरदाता गैरसायल संख्या 4 एक सिमेन्ट उत्पादन ईकाई ग्राम बलाडा मे स्थापित होने जा रही है जहां तक पहुंचने के लिये सम्पर्क सडक बनाये जाने हेतू गैरसायल संख्या 4 ने उक्त भूमि क्रय की जो सम्पर्क सडक बाद में राज्य सरकार को समर्पित कर दी जावेगी तथा अन्य सभी खातेदारो की आपसी सहमति से सम्पर्क सडक निर्माण हेतू उनकी भूमि क्रय की। सायलान् के हिस्से व कब्जे की भूमि जब उतरदाता गैरसायल संख्या 4 ने बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश ही नही की तो उनके हक अधिकार प्रभावित नही होकर मुकदमेबाजी, असीम हानि होना आदि के कथन पूर्णतया गलत झुठे व मौके की स्थिति से भिन्न अंकित किये है इसलिए सायलान् उतरदाता गैरसायल संख्या 4 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि ख. नं. 972 रकबा 25 - 18 बीघा भूमि व अन्य खसरा नम्बर की भूमि बाबत् गैरसायल संख्या 1 ने एक वाद संख्या ... / 2020 अनवान सम्पतराज बनाम गजराई वगैराह का दिनांक 13/08/20 को अन्तर्गत धारा 53, 92 राज0 काश्त0अधि0 का पेश किया जिसकी आगामी तारीख पेशी 01/12/2020 की है। सायलान् उतरदाता गैरसायल के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
([illegible]) [illegible] (पाली)

अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसका एक मात्र उपचार सहखातेदारान् के बीच बंटवाडे का होना आवश्यक है जो गैरसायल संख्या 1 ने न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर रखा है जो गैरसायल संख्या 1 ने इस प्रार्थनापत्र के पूर्व पेश कर रखा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त होने से उतरदाता गैरसायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला है तथा उक्त भूमि मौके पर पीढीयो अर्थात 60 वर्षो से अधिक समय से खातेदारान् सहखातेदारान् के बीच मौके पर बंटवाडा होकर खेतो के बीच खन्दक/मांठ तारबन्दी भी की हुई है वक्त बेचान उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से तथा मौके पर कब्जा होने से उसने अपने हिस्से मे से उत्तरदाता गैरसायल को भूमि बेचान कर मौके पर क्रयसुदा भूमि पर गैरसायल संख्या 4 जनहित मे तथा यूटीसीएल इकाई तक पहुंचने हेतू सम्पर्क सड़क का निर्माण हेतू ली तथा सम्पर्क सडक बाद मे राज्य सरकार को समर्पित कर दी जावेगी। सायलान् के हक हिस्से व कब्जा सुदा भूमि मे से गैरसायल संख्या 4 ने कोई भूमि ली ही नही तो उन्हें असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा उतरदाता गैरसायल संख्या 4 क्रय की गयी भूमि का एक सदभाविक क्रेता है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार से सायलान् अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि सरहद मौजा बलाडा में स्थित खसरा नम्बर 972 रकबा 25-18 बीघा भूमि सायलान् एवं गैरसायलान् की हिन्दू मुस्तर्का खानदान संयुक्त सामलाती पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पीढ़ी दर पीढी उपयोग करने के कथन गलत झुठे व मौके की स्थिति से भिन्न अंकित किये है। इस पद मे अंकित भूमि का आज से 60 वर्षो पूर्व उतरदाता गैरसायल के पिता के समय से मौके पर बंटवाडा होकर खेतो के बीच खन्दक व मांठे कायम है। गैरसायल संख्या 1 उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि खसरा नम्बर 972 रकबा 25-18 बीघा भूमि सायलान् एवं गैरसायलान् की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की नही होकर गैरसायल संख्या 1 का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व मौके पर कब्जा काश्त है। छोगा पुत्र धूला के देहान्त के बाद उक्त भूमि गोकलराम के नाम विरासत मे आने के कथन गलत है। बल्कि उक्त भूमि का शुरू से ही खातेदार गोकलराम थे इनकी मृत्युपरान्त गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई खसरा नम्बर 972 रकबा 25-18 बीघा भूमि के 1/4 हिस्से की आधी 6-09 बीघा भूमि का गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 1 खातेदार है व मौके पर पिछले 60 वर्षो से गैरसायल संख्या 1 के पिता के समय से बंटवाडा होकर काबिज होकर काश्त करते है व खेतो के बीच खन्दक/मांठे है व खेत के चारो और तारबन्दी है गैरसायल संख्या 1 ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि मे से सायलान् एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 ने कब्जे से बेदखली करने, बैचान हस्तान्तरण कर अजनबी केता को गैरसायल संख्या 1 के 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा करवाने की धमकी देने पर गैरसायल संख्या 1 ने सायलान् एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 के विरूद्ध उक्त भूमि बाबत् कानूनी बंटवाडा हेतू निवेदन किया परन्तु दिनांक 24/12/2019 को बंटवाडा करने से मना करने पर उतरदाता गैरसायल ने सायलान् एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 के विरुद्ध दिनांक 13/01/2020 को एक वाद अनवान सम्पतराज बनाम गजराई वगैराह का बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो लम्बित है व एक प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया जो लम्बित है जिसकी तारीख पेशी 01/12/2020 की है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे दर्ज कथन गलत व झुठे होने अस्वीकार है सायलान् एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 के बीच उक्त खसरा नम्बर की भूमि का पिछले 60 वर्षो से बंटवाडे मे आयी जमीन पर ही काबिज होकर खातेदारान् अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते है तो फिर सायलान् एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 के हिस्से की भूमि पर गैरसायल संख्या 4 द्वारा अवैध गैरकानूनी तरीके से हडपने, कम्पनी के नाम करवा का दबाव देना, धमकी देकर खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान लगवाने का दबाव देना आदि के कथन मात्र वादपत्र करने व प्रार्थनापत्र करने की गरज से गलत झुठे मनमाने मौके की स्थिति से भिन्न अंकित किये है। सायलान् ने अपने हिस्से की भूमि मे से गैरसायल संख्या 4 कभी भूमि क्रय करने बाबत् नही कहा तथा न ही दखलन्दाजी की तो उन्हे उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने के कथन गलत है। उक्त भूमि तो पैतृक पुश्तैनी एवं न ही संयुक्त सामलाती खातेदारी की है जबकि उतरदाता गैरसायल संख्या 1 ने अपने निजी एवं पारिवारिक रकम की आवश्यकता होने पर अपने 1/4 हिस्से को गैरसायल संख्या 4 से उचित प्रतिफल की राशि मिलने पर दिनाक 18/03/2020 को बेचान कर केता को/गैरसायल संख्या 4 को मौके पर कब्जा दिया जहां पर केता काबिज है तथा माफिक बेचान रेवेन्यु एजेन्सी ने दस्तावेज व कब्जे की जांच कर गैरसायल संख्या 4 का नाम जरिये म्युटेशन संख्या 3872 दिनांक 20/03/2020 को नाम जमाबन्दी मे दर्ज किया। सायलान् का व गैरसायल संख्या 4 का उक्त भूमि के कब्जे को लेकर कोई विवाद होना व सायलान् को उनकी भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश करना, मुकदमेबाजी होना असीम हानि होना आदि के कथन पूर्णतया गलत झूठे अंकित किये है इसलिए सायलान् उतरदाता गैरसायल संख्या 1 विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है सायलान का अपना हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उतने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है। उतरदाता गैरसायल संख्या 1 का जमाबन्दी मे दर्ज 1/4 हिस्से अर्थात 6-09 बीघा भूमि के अलावा एक इंच भूमि भी अधिक नही है। तो फिर सायलान् उतरदाता गैरसायल संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि बाबत् सायलान् ने उत्तरदाता गैरसायल के विरुद्ध जो स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जिसका एक मात्र उपचार उक्त भूमि का बंटवाडा ही है जो उत्तरदाता गैरसायल संख्या 1 ने अन्य खातेदारान् के विरुद्ध एक वाद अनवान सम्पतराज बनाम गजराई वगैराह का अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान मे लम्बित है जिसकी तारीख पेशी 01/12/2020 की है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त होने से उत्तरदाता गैरसायल के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला है तथा उक्त भूमि मौके पर पीढीयो अर्थात् 60 वर्षो से अधिक समय से खातेदारान् सहखातेदारान् के बीच मौके पर बंटवाडा होकर खेतो के बीच खन्दक/मांठ तारबन्दी भी की हुई है वक्त बेचान उक्त भूमि के 1/4 हिस्से का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से तथा मौके पर कब्जा होने से उसने अपने हिस्से मे से उत्तरदाता गैरसायल को भूमि बेचान कर मौके पर क्रयसुदा भूमि पर गैरसायल संख्या 4 जनहित में तथा यूटीसीएल इकाई तक पहुंचने हेतू सम्पर्क सडक का निर्माण हेतू क्रय की तथा सम्पर्क सडक बाद में राज्य सरकार को समर्पित कर दी जावेगी। सायलान् के हक हिस्से व कब्जा सुदा भूमि मे से गैरसायल संख्या 4 ने कोई भूमि ली ही नही तो उन्हे असीम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा उत्तरदाता गैरसायल संख्या 4 क्रय की गयी भूमि का एक सदभाविक क्रेता है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार से सायलान् अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र एव दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू-अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2073-76 [illegible]लाडा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं [illegible]र्थीगण की संयुक्त अविभाजित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सह–खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने सायलान व अन्य हिस्सेदारों के विरूद्ध उक्त वादग्रस्त आराजी के सामलाती होनें से बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है जो जैर विचारण के है। अप्रार्थी संख्या 4 ने यह कथन किया है कि गैरसायल संख्या 4 क्रय की गई भूमि का एक सद्भाविक क्रेता है जिसका नाम वादग्रस्त आराजी में जरिये म्यूटेशन संख्या 3892 दिनांक 20/03/2020 से दर्ज हुआ। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन का खंडन भी नहीं किया गया। सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। चुंकि सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में सह–खातेदारों के मध्य विवाद के समाधान के लिए कानूनन हिस्सेनुसार बंटवाड़ा ही समाधान है एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–**

चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः केवल एक सहखातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–**

चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाड़ा का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक अभियन्ता
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफ़िक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:42 IST
Reason: SelfAttested